अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहेगा बलात्कार का आरोपी

पत्रिका
कोर्ट
न्यूज

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

शहडोल. जिले में किशोरी के साथ बलात्कार मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई है। द्वितीय सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल ने आरोपी राजू सोधिया उर्फ बेटउ को आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन तक) से दंडित किया गया। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी अभियोजन नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि बेटी के साथ थाने में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 4 अगस्त 2020 खजुलईया के दिन पति के साथ अमरकंटक से शहडोल आई थी। इसी दौरान एक परिचित ने किशोरी के साथ बलात्कार किया था। पीड़िता के चीखने चिल्लाने पर जान से खत्म करने की आरोपी ने धमकी दी थी। रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया पर सुनवाई करते हुए सजा दी है।